न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**

अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 719–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–1–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 747/09–10/अपील.

---

1 श्रीमती आरती गोयल पत्नी दिनेश गोयल
2 श्रीमती ममता गोयल पत्नी श्री दिलीप गोयल
निवासीगण सुभाषगंज डबरा, तहसील डबरा,
जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश

.....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1 अभिषेक पुत्र जयराम गुप्ता
निवासी सुभाषगंज डबरा, जिला ग्वालियर म0 प्र0
2 महेश कैलशिया पुत्र अनरेश कैलशिया
निवासी कस्टम रोड, डबरा, जिला ग्वालियर
3 राहुल पुत्र देवी लाल अग्रवाल
निवासी कस्टम रोड वार्ड कमांक 11 डबरा
4 अनिल पुत्र सुरेश तिवारी
निवासी बुजुर्ग रोड डबरा, तहसील डबरा जिला ग्वालियर म0 प्र0
5 मध्य प्रदेश शासन द्वारा भू–अभिलेख (भूप्रबंधन)
कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर म0 प्र0

.....प्रत्यर्थीगण

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, प्रत्यर्थी 1 से 4

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 3 अप्रैल 2014)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 31–1–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा संहिता की धारा 107 के अंतर्गत कलेक्टर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम अर्रू तहसील डबरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 545 में 10,000 वर्गफीट का नक्शा संशोधन कराये जाने की मांग की गई । कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 175/09–10/बी–121 दर्ज किया जाकर दिनांक 7–7–2010 को आदेश पारित कर नक्शा संशोधित करने की अनुमति दी जाकर प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु भू–प्रबंधन शाखा को भेजा गया । कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी क्रमांक 1 लगायत 4 द्वारा प्रथम अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–1–2012 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर का आदेश दिनांक 7–7–2010 निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा दिनांक 7–6–2010 को विधिवत सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख से स्थल निरीक्षण कराया जाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है और प्रतिवेदन के आधार पर नक्शा संशोधित किये जाने की अनुमति दी गई, जो कि विधिवत कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि इस अपील प्रकरण में प्रत्यर्थी क्रमांक 1 लगायत 4 की कोई लोकसस्टेण्डाई नहीं है और उन्हें अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा दिनांक 13–5–2010 को स्थल निरीक्षण किया गया है । प्रत्यर्थी क्रमांक 1 लगायत 4 द्वारा उक्त दिनांक को भूमि क्रय नहीं की जाकर स्थल निरीक्षण के पश्चात दिनांक 17–5–2010 को भूमि क्रय की गई है । इस प्रकार स्थल निरीक्षण दिनांक को वे भूमिस्वामी नहीं थे । तर्क में यह भी कहा गया कि स्थल निरीक्षण दिनांक को भगवान सिंह भूमिस्वामी थे और वह स्थल निरीक्षण में उपस्थित भी हुये है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया

गया कि कलेक्टर के समक्ष प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 4 को सूचना देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि कलेक्टर के समक्ष भगवान सिंह द्वारा प्रश्नाधीन भूमि विकय किये जाने के तथ्य को नहीं बतलाया गया है । यह भी कहा गया कि प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 4 भगवान सिंह से भूमि कय करना बताते है, परन्तु अपर आयुक्त के समक्ष भगवान सिंह को पक्षकार नहीं बनाया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 4 द्वारा प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान भूमि कय की गई है, अतः विकय पत्र वैधानिक त्रुटि से उचित मान्य नहीं किया जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस पक्षकार का जितना रकबा होगा उसे वही प्राप्त होगा, उससे अधिक नहीं ।

4/ प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि भगवान सिंह आवश्यक पक्षकार थे तब इस न्यायालय में अपीलार्थीगण की ओर से उसका नाम विलोपित कराया गया है, जो नहीं कराया जाना चाहिये था । यह भी कहा गया कि प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 4 द्वारा 17–5–2010 को भूमि कय की गई है और कलेक्टर द्वारा भूमि कय करने के पश्चात दिनांक 7–7–2010 को आदेश पारित किया गया है, इसलिये कलेक्टर को प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 4 को सूचना देना चाहिये थी, क्योंकि वह हितबद्ध पक्षकार है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर को प्रतिवेदन पर विचार करना चाहिये था, परन्तु कलेक्टर द्वारा सीधे प्रतिवेदन स्वीकार करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि सर्वे कमांक 546 एवं 547 का सीमाकंन किया जाना था, जो नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि यदि कलेक्टर अथवा सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा उदघोषणा जारी की गई होती तो प्रत्यर्थी कमांक 1 एवं 4 को जानकारी मिलती और वे उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करते । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 4 का जितना रकबा है उन्हें मिलना चाहिये और अन्य रकबा प्रभावित होता है तो प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 4 को कोई आपत्ति नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पक्षकार को सूचना दी जाकर सुनवाई का अवसर देना चाहिये था, जो नहीं दिया गया है । उनके द्वारा प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 4 को सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण कलेक्टर को प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

5/ प्रतिउत्तर में अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 107 के अंतर्गत इश्तहार जारी करने का प्रावधान नहीं है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त को प्रथम अपील में आदेश पारित कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करना था अथवा अपीलार्थीगण के आवेदन पत्र का निराकरण करना था, जो नहीं किया गया । उनके द्वारा भी प्रकरण कलेक्टर को प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

6/ प्रत्यर्थी कमांक 5 औपचारिक पक्षकार होने से उनकी ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई तर्क प्रस्तुत किये गये ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 4 द्वारा सर्वे कमांक 546 का रकबा 0.140 हैक्टेयर एवं सर्वे कमांक 547 का रकबा 0.100 हैक्टेयर पंजीकृत विकय पत्र से दिनांक 17–5–2010 को कय की गई है । कलेक्टर द्वारा दिनांक 7–7–2010 को आदेश पारित किया गया है । स्पष्ट है कि कलेक्टर के आदेश पारित करने के पूर्व प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 4 के स्वत्व सर्वे कमांक 546 एवं 547 में निहीत हो गये थे और वे कलेक्टर के समक्ष हितबद्ध पक्षकार थे ऐसी स्थिति में कलेक्टर को आदेश पारित करने के पूर्व प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 4 को सूचना दी जानी चाहिये थी । कलेक्टर द्वारा प्रकरण में न तो इश्तहार जारी किया गया है और न ही पड़ोसी कृषकों को कोई सूचना दी गई है । मौके पर बनाये गये पंचनामें में सर्वे कमांक 546 एवं 547 का निरीक्षण किये जाने का उल्लेख है, किन्तु इन सर्वे नंबरान के भूमिस्वामियों को स्थल निरीक्षण की कोई सूचना नहीं दी गई है । यहां यह भी विचारणीय है कि सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें सर्वे कमांक 546 एवं 547 का रकबा कम किया गया है और उक्त सर्वे नंबरों में प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 4 की भूमि भी सम्मिलित है। स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा बिना प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 4 को सुनवाई का अवसर दिये एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है, जिसे वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है । अतः अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में तो विधिसंगत कार्यवाही की गई है, परन्तु उनके द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निराकरण किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित नहीं करने में विधि एवं न्याय की भूल की गई है, क्योंकि अपर आयुक्त द्वारा जब यह पाया गया है कि

कलेक्टर द्वारा बिना प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 4 को सुनवाई का अवसर दिये एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है और विहीत प्रकिया का पालन नहीं किया गया है तब विहीत प्रकिया का पालन कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिये था । इस कारण अपर आयुक्त का आदेश भी स्थिर नहीं रखे जाने योग्य है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–1–2012 एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–7–2010 निरस्त किये जाते है। प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुये प्रकरण का विधिवत निराकरण किया जाये ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर